<u>न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर</u>

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—2020/00149/223

1. रामधन पुत्र गणेश मृतक जरिये वारिसः— रामेश्वर पुत्र रामधन, जाति जाट, निवासी रघुनाथुपरा, तह0 किशनगढ़, जिला अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, किशनगढ़, जिला अजमेर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, रूपनगढ़, जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ दिनांक 20.7.2017 अंतर्गत वाद संख्या 266/2017.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री मौहम्मद इकबाल, वकील अपीलांट ।
2. श्री धर्मवीर चौधरी, वकील रेस्पोडेंटस ।

<u>निर्णय</u>

दिनांकः— 17.12.2020

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के निर्णय दिनांक 20.7.2017 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. वादी/अपीलांट द्वारा अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, किशनगढ़ के समक्ष प्रतिवादी/रेस्पो0 के विरूद्ध वाद अंतर्गत धारा 88, 92—ए एवं 188 राज0काश्त0अधि0 के तहत किया जो बाद में उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ को स्थानातंरित हो गया । वाद में कथन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी खसरा नंबर 61 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नंबर 62 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा को नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 29.9.1977 से सिवायचक दर्ज किया गया था । खसरा नंबर 61 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा में से दिनांक 30.1.1979 को अपीलांट सहित अन्य व्यक्तियों को राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 261 के तहत रचित नियम राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित की गई जिसमें अपीलांट को 7 बीघा भूमि लगान 11.19/—रू0 के आधार पर आवंटित की गई । आवंटन दिनांक से अपीलांट उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है अपीलांट द्वारा समस्त आवंटन नियमों की पालना की गई है परन्तु आज दिवस तक भी अपीलांट के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी का अंकन दर्ज नहीं किया गया है जिसके कारण अपीलांट के द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है । उक्त वाद को दिनांक 27.5.2015 को कैम्प कोर्ट मुकाम नवा में रखकर अपीलांट को बिना सुने खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 26.6.2015 को स्वीकार किया गया और राजस्व वाद को पुनः नंबर पर

लिया गया । इसके पश्चात् दिनांक 10.12.2015 को उक्त वाद में तनकियात कायम की गई और वाद वास्ते साक्ष्य वादी नियत किया गया । दिनांक 20.7.2017 को वादी/अपीलांट न्यायालय में साक्ष्य कलमबद्ध कराने के लिए उपस्थित हुआ परन्तु अभिभाषक के द्वारा प्रार्थी के अशिक्षित एवं ग्रामीण परिवेश का लाभ उठाते हुए उपरोक्त न्यायालय की आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये और प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रो करने वाद पर भी हस्ताक्षर करवा लिए गए जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं दी गई । अधी0न्याया0 ने दिनांक 20.7.2017 को विड्रो के आधार पर वाद खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने बहस में निवेदन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को अपीलाधीन आराजियात राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के आवंटन नियम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन) नियम 1970 के तहत खसरा नंबर 61 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा में से 7 बीघा भूमि आवंटित की गई थी जिसका लगान भी अपीलांट के द्वारा समय–समय पर जमा किया जाता रहा है परन्तु राजस्व कर्मचारियों के द्वारा अपीलांट के द्वारा नियमानुसार आवंटन नियमों की पालना किये जाने के बावजूद खातेदारी दर्ज नहीं किए जाने पर वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है । अधी0न्याया0 ने वादी का वाद कैम्प कोर्ट नवा में खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर अधी0न्याया0 ने अपीलांट के वाद को पुनः नंबर पर लिया गया । दिनांक 10.12.2015 को वाद में तनकियात कायम की गई । दिनांक 20.7.2017 को अपीलांट अभिभाषक के कहे अनुसार न्यायालय में साक्ष्य कलमबद्ध कराने के लिए उपस्थित हुआ और अभिभाषक ने प्रार्थना पत्र पर भी अपीलांट के हस्ताक्षर करा लिए और अपीलांट को जाने के लिए कह दिया जिसके पश्चात् अपीलांट के अभिभाषक ने आगे की कार्यवाही से सूचित करने का आश्वासन दिया परन्तु उपरोक्त प्रार्थना पत्र में क्या लिखा था, यह नहीं बताया । अधी0न्याया0 ने अभिभाषक अपीलांट ने उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर अपीलांट का वाद विड्रो के आधार पर दिनांक 20.7.2017 को खारिज कर दिया । अपीलांट को इस तथ्य का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि अभिभाषक के द्वारा किस प्रकार के प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर लिए है । ऐसी स्थिति में अभिभाषक की गलती का खामियाजा पक्षकार को नही दिया जा सकता है । अपीलांट को अपने प्रकरण की सुनवाई करवाने का अधिकार है । अपीलांट अधिवक्ता ने समस्त कार्यवाही अपीलांट को मुगालते में रखकर की है जिसमें अपीलांट का कोई दोष नहीं है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश दिनांक 20.7.2017 निरस्त किया जावे तथा वाद को पुनः सुनवाई हेतु नंबर पर लिये जाने के आदेश प्रदान करावे ।

5. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 पेश कर निवेदन किया कि अपीलांट दिनांक 18.3.2020 को अभिभाषक से संपर्क किया और आगे की कार्यवाही के लिए जानकारी प्राप्त की तो अभिभाषक ने जानकारी देने से मना कर दिया । जिस पर अपीलांट के द्वारा समय–समय पर उपरोक्त प्रकरण की जानकारी के लिए स्वंय के स्तर पर प्रयास किए और अपीलांट वादपत्र की फोटो प्रति लेकर दिनांक 20.8.2020 को अजमेर आया और अभिभाषक से संपर्क किया तो अभिभाषक ने उपरोक्त वादपत्र की प्रति न्यायालय से लाने को कहा और नकल का प्रार्थना पत्र भर कर दिया जिसे लेकर अपीलांट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ के समक्ष उपस्थित हुआ और

नकल हेतु दिनांक 24.8.2020 को प्रार्थना पत्र पेश किया जिस पर उसी दिन नकल प्राप्त होने पर अजमेर आकर जानकारी से अंदर मियाद यह अपील पेश की है । अपील में हुआ विलंब उचित एवं सद्भाविक है । अतः विलंब माफ किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जावे ।

6. विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा वाद विड्रो किये जाने के प्रार्थना पत्र पर अंगूठा निशानी अंकित कर वाद को विड्रो किया गया है । अब गलत कथनों के आधार पर यह अपील पेश की है । अधी0न्याया0 द्वारा अपीलांट स्वंय की प्रार्थना पत्र वाद विड्रो के आधार पर खारिज किया गया है जो विधिसम्मत् आदेश है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधि0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलंब के जो कारण अंकित किये है वे उचित एवं सद्भाविक प्रतीत होते है। हम अपीलांट को गुणावगुण पर सुना जाना उचित समझते है । अतः न्यायहित में अपील में हुआ विलंब क्षम्य किया जाकर अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।

8. प्रकरण में गुणावगुण पर पत्रावली का अवलोकन किया गया । अपीलांटस द्वारा अधी0न्याया0 के समक्ष वाद इन कथनों के साथ प्रस्तुत किया गया कि वाद में कथन किया कि ग्राम रघुनाथपुरा के आराजी खसरा नंबर 61 रकबा 27 बीघा 13 बिस्वा एवं खसरा नंबर 62 रकबा 9 बिस्वा कुल किता 2 कुल रकबा 28 बीघा 2 बिस्वा को नामांतकरण संख्या 5 दिनांक 29.9. 1977 से सिवायचक दर्ज किया गया था । खसरा नंबर 61 रकबा 27 बीघा 3 बिस्वा में से दिनांक 30.1.1979 को अपीलांट सहित अन्य व्यक्तियों को राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 261 के तहत रचित नियम राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन) नियम 1970 के तहत आवंटित की गई जिसमें अपीलांट को 7 बीघा भूमि लगान 11.19/–रू0 के आधार पर आवंटित की गई। आवंटन दिनांक से अपीलांट उपरोक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है अपीलांट द्वारा समस्त आवंटन नियमों की पालना की गई है परन्तु आज दिवस तक भी अपीलांट के नाम राजस्व अभिलेख में खातेदारी का अंकन दर्ज नहीं किया गया है जिसके कारण अपीलांट के द्वारा यह वाद प्रस्तुत किया गया है । उक्त वाद को दिनांक 27.5.2015 को कैम्प कोर्ट मुकाम नवा में रखकर अपीलांट को बिना सुने खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 26.6.2015 को स्वीकार किया गया और राजस्व वाद को पुनः नंबर पर लिया गया । इसके पश्चात् दिनांक 10.12.2015 को उक्त वाद में तनकियात कायम की गई और वाद वास्ते साक्ष्य वादी नियत किया गया था । दिनांक 20.7.2017 को वादी/अपीलांट न्यायालय के समक्ष कलमबद्ध साक्ष्य कराने के लिए उपस्थित हुआ परन्तु अभिभाषक द्वारा प्रार्थी के अशिक्षित एवं ग्रामीण होने का लाभ उठाते हुए उपरोक्त न्यायालय की आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये ओर प्रार्थना पत्र बाबत् विड्रो करने वाद पर भी हस्ताक्षर करवा लिए जिसकी अपीलांट को कोई जानकारी नहीं दी गई । इस संबंध में अधी0 न्यायालय की पत्रावली पत्र उपलब्ध प्रार्थना पत्र दावा विड्रो किये जाने बाबत् संलग्न है जिस पर रामेश्वर के हस्ताक्षर है, किन्तु अपीलांट रामेश्वर द्वारा अपील में यह कथन किया गया है कि उनके अधिवक्ता ने उन्हें जानकारी दिये बिना प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करवा लिये है जबकि उनके द्वारा अधिवक्ता को वाद विड्रो किये जाने के संबंध में कोई निर्देश नहीं दिये गये थे । उक्त प्रार्थना पत्र किस दिनांक को अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किया गया इस संबंध में कोई दिनांक अंकित नहीं है तथा न

ही इस प्रार्थना पत्र पर पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर ही है । यही नहीं उक्त प्रार्थना पत्र को वादी/अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा प्रमाणित भी नहीं किया गया है कि उक्त प्रार्थना पत्र पर वादी/अपीलांट ने उनके समक्ष हस्ताक्षर किये है । इसके अभाव में उक्त प्रार्थना पत्र के आधार पर वाद को विड्रो के आधार पर खारिज किया जाना विधिसम्मत् नहीं माना जा सकता है । पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0नया0 द्वारा उक्त वाद को पूर्व में दिनांक 27.5.2015 को कैम्प कोर्ट मुकाम नवा में रखकर अपीलांट को बिना सुने खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जो दिनांक 26.6.2015 को स्वीकार किया गया तथा राजस्व वाद को पुनः नंबर पर लिया गया है। उक्त तथ्य से स्पष्ट है कि वादी/अपीलांट अपने वाद के प्रति प्रारंभ से सजग रहा है। अपीलांट स्वंय ने न्यायालय हाजा के समक्ष शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि अधी0न्याय0 में जग मेरे बयान होने थे तो मेरे अभिभाषक ने मेरे हस्ताक्षर एक कागज पर करवाये जिस पर क्या लिखा था मुझे ज्ञान नहीं है क्योंकि मैं अशिक्षित हूं। पत्रावली के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि अधी0न्याया0 के समक्ष राज्य सरकार की ओर से जवाबदावा पेश किया जा चुका था । हम न्यायहित में अपीलांट के वाद का अधी0न्याया0 द्वारा परीक्षण कराया जाना न्यायोचित समझते है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य होकर प्रकरण अधी0न्याया0 को प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य पाया जाता है ।

9. अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 20.7.2017 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधी0न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट/वादी को साक्ष्य, सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद को गुणावगुण पर निर्णित करे ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 17.12.2020 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर